



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक. 1

नजदीक पटेल पार्क, अम्बाला कैंट-133001

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.1

NEAR PATEL PARK, AMBALA CANTT-133001

फ़ोन नं. 0171-2970071 (O)

ईमेल पता :- 1kvambala@gmail.com

वेबसाइट : no1ambalacantt.kvs.ac.in

सी.बी.एस.ई. संबद्धता संख्या. : 500001

विद्यालय क्र.: 44524



फा.129051/के.वि-1/अम्बाला छावनी/2025-26/

दिनांक: 26.02.2026

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सं.1, अम्बाला कैंट में कंडम घोषित किये गए लाइब्रेरी, कंप्यूटर पेरिफेरल/आई.टी. उपकरण एवं अन्य लैब उपकरणों जिसकी कीमत लगभग **₹11.96 लाख** है कि नीलामी दिनांक **12.03.2026** को सुबह 11:00 बजे से पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सं.1, अम्बाला कैंट के परिसर में सक्षम अधिकारी द्वारा कंडमनेशन कमेटी के समक्ष की जाएगी। नीलामी से सम्बंधित नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं, जिनको मौके पर भी उल्लेखित किया जायेगा:-

नियम एवं शर्तें:-

1. सभी सामान पुराना, प्रयोग किया हुआ एवं कंडम है।
2. नीलामी में भाग लेने वाले ठेकेदार को नीलामी से पूर्व **₹2000/- (दो हजार मात्र)** धरोहर राशि के रूप में जमा करवाने होंगे जो नीलामी के बाद पुनः लौटा दिए जाएंगे।
3. उपरोक्त सामान की नीलामी “जहाँ जैसी स्थिति है” के आधार पर की जाएगी।
4. उपरोक्त नीलामी में भाग लेने वाली फर्म जो कंप्यूटर एवं पेरिफेरल से सम्बंधित सामान खरीदने की इच्छुक है वह कंप्यूटर एवं आई.टी. सामग्री की खरीद का केंद्र और **सम्बंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया Registered/Authorized under E-Waste (Management and Handling) का लाइसेंस** एवं अपना परिचय पत्र दिनांक 24.11.2025 से पहले विद्यालय की ई-मेल 1kvambala@gmail.com पर भेजे एवं उक्त प्रपत्र नीलामी की तिथि को भी साथ लेकर आये। किसी फर्म के पास लाइसेंस न होने की स्थिति में उस फर्म को कंप्यूटर एवं पेरिफेरल से सम्बंधित सामान की नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
5. विद्यालय का कोई भी कर्मचारी एवं उनके परिवार का सदस्य सार्वजनिक नीलामी में भाग नहीं ले सकता है।
6. नीलामी के संबंध में सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं उसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।

अगले पृष्ठ पर.....

7. नीलामी के दिन यदि फर्म के मालिक के स्थान पर उनके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति बोली में भाग लेता है तो उसके पास सम्बंधित फर्म से बोली में भाग लेने के लिए प्राधिकार पत्र हो, जिसे नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा विद्यालय में जमा करवाना होगा ।
8. नीलामी का समान किसी भी कार्य दिवस में विद्यालय में आकर देखा जा सकता है।
9. उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को तुरंत बोली उपरांत सामान की बनी/योग कुल राशि विद्यालय में चेक एवं ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा करवानी होगी अन्यथा अगली उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को सामान नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए दे दिया जायेगा । इसलिए फर्म पर्याप्त राशि अपने बैंक खाते में रखे एवं चेक साथ लेकर विद्यालय में आये ।
10. उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को पूर्णराशि जमा करवाने के बाद ही सामान ले जाने का अधिकार होगा और नीलामी के बाद एक दिन के भीतर सभी सामान बोलीदाताओं द्वारा विद्यालय परिसर से उठाया जाना अनिवार्य होगा ।
11. सामग्री को विद्यालय से ले जाने के लिए वाहन इत्यादि का इंतजाम उच्चतम बोलीदाता फर्म को स्वयं ही करना होगा ।
12. यदि नीलामी वाले दिन न्यूनतम तीन फर्म बोली लगाने के लिए उपस्थित नहीं होती है तो उस स्थिति में नीलामी प्रक्रिया को उस दिन के लिए रद्द कर दिया जायेगा ।
13. प्राचार्य पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सं.1, अम्बाला कैंट कोई भी कारण बताए बिना उक्त नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने के लिए निर्बाध अधिकार सुरक्षित रखते हैं ।
14. नीलामी में भाग लेने वाली सभी फर्म उपरोक्त सभी शर्तों के पालन के लिए बाध्य होंगी ।

प्राचार्य

वितरण:-

1. विद्यालय नोटिस बोर्ड ।
2. विद्यालय वैबसाइट ।
3. प्राचार्य/प्राचार्या, सभी केंद्रीय विद्यालय गुरुग्राम संभाग ई-मेल के माध्यम से ।
4. समाचार पत्र ।
5. उपायुक्त, केविसं, गुरुग्राम संभाग को सूचनार्थ ।